न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 106 / 2020	2020 / 00223	10.11.2020	19.09.2022

01. नरेश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गूगलकोटा तहसील नीमराना जिला अलवर राज0।

—अपीलांट

बनाम

01. सरकार जरिये नायब तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर राज0।

—रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नीमराना दिनांक 28.10.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 21 / 2020

उपस्थितः—

01. श्री पवन सिंह चौहान —वकील अपीलांट

—:निर्णयः—

अपीलांट ने यह अपील नायब तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 28.10.2020 जिसके द्वारा अपीलांट को ग्राम गूगलकोटा के आराजी खसरा नम्बर 1988 रकबा 0.65 है0 किस्म चारागाह में से 0.05 है0 भूमि पर पक्का मकान बनाकर अवैध कब्जा करने पर अतिक्रमी मानकर बेदखली व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम गूगलकोटा के आराजी खसरा नम्बर 1988 रकबा 0.65 है0 किस्म चारागाह में से 0.05 है0 भूमि पर पक्का मकान बनाकर अवैध कब्जा करने पर पटवारी द्वारा रिपोर्ट दिनांक 03.09.2020 के द्वारा अतिक्रमी मानकर बेदखली व पैनल्टी से दण्डित किया गया है। उक्त भूमि मिन अपीलांट द्वारा जरिये इकरारनामाबय दिनांक 04.02.2014 को श्री कालीचरण शर्मा पुत्र प्रहलाद दत्त भारद्वाज जाति ब्राह्मण से प्रतिफल राशि अदा कर सादा फॉर्म पर गवाह करवाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाकर क्रय की गयी थी। कालीचरण शर्मा ने उक्त भूमि पर काबिज रहते हुए उक्त भूमि का ग्रम पंचायत से दिनांक 22.12.2004 को पट्टा सं0 5 के द्वारा जारी किया गया है। अपीलांट आज भी मौके पर काबिज है। जिसमें विद्युत कनेक्शन रिहायश एवं पशु बान्धने का उपयोग उपभोग में लिया जाता रहा है। मौके पर अन्य लोगों के मकानात् भी बने हुए है। मौके पर आबादी है। आबादी की भूमि पर धारा 91 एलआरएक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही नहीं चल सकती है। मिन अपीलांट अतिक्रमी नहीं है। विवादित भूमि गै0मु0 चारागाह की भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया हुआ है। आज तक दिनांक 22.12.2004 को जारी पट्टे के विरूद्ध कोई अपील या ऐतराज किसी सक्षम न्यायालय में किसी व्यक्ति या सरकार द्वारा पेश नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 28.10.2020 अपास्त फरमाया जावें।

हमने प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0दि0 सहपठित धारा 151 जा0दि0 पर बहस सुनी। वकील प्रार्थी निवेदन किया कि अपीलांट नरेश सिंह द्वारा आराजी खसरा नम्बर 1988 कुल रकबा 0.65 है0 किस्म चारागाह में से 0.05 है0 पर अतिक्रमण किया हुआ है। जिस अतिक्रमण से सरकारी

जिला कलक्टर, अलवर

स्कूल गूगलकोटा के खेल मैदान के प्रवेश का रास्ता बाधित होकर बन्द हो गया है। अतिक्रमी द्वारा ग्रामीणों के ऐतराज पर भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। जिस बाबत सिविल वाद न्यायालय एमजेएम बहरोड के समक्ष पेश किया गया। उक्त खसरा नम्बर पर ग्राम गूगलकोटा के निवासीयान के पशु चारा चरते है। अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय में झूठे व मनगढंत तथ्यों को दर्ज करते हुए अपील पेश की गयी है। अतः प्रार्थी का प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0दि0 सहपठित धारा 151 जा0दि0 स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन अपील में बतौर रैस्पो0 दर्ज कर पैरवी किये जाने की अनुमति सादर फरमावें।

वकील अपीलांट की ने प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0दि0 सहपठित धारा 151 जा0दि0 पर बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रा0पत्र जा0दि0 बेजा तौर पर पेश किया गया है। प्रार्थी का उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में अंकित तथ्य झूठे व मनगढंत है। अतः प्रा0पत्र आदेश 01 नियम 10 जा0दि0 सहपठित धारा 151 जा0दि0 प्रार्थी खारिज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र 01 नियम 10 जा0दि0 सहपठित धारा 151 जा0दि0 की बहस पर मनन किया। विचाराधीन प्रकरण धारा 91 एलआरएक्ट के तहत है। जिसमें अपीलांट व राज्य सरकार के बीच विवाद है। अन्य किसी प्रार्थी का उक्त धारा 91 में पक्षकार बनाया जाना उचित नहीं है, क्योंकि उक्त आराजी से प्रार्थी प्रा0पत्र 01 नियम 10 जा0दि0 सहपठित धारा 151 जा0दि0 व्यथित पक्षकार नहीं है। अतः प्रा0पत्र 01 नियम 10 जा0दि0 सहपठित धारा 151 जा0दि0 खारिज किया जाता है।

अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 03.09.2020 को रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि खसरा नम्बर 1988 रकबा 0.65 है0 किस्म चारागाह में से 0.05 है0 भूमि पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उक्त विवादित भूमि रा0का0अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमियों में शामिल है जिस पर किसी निजी व्यक्ति के कोई अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है। अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार नीमराना का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)